अनुदान संख्या 15 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
GRANT No. 15 - DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*					
पूरक	*Supplementary*			*1,35,00*	*1,17,16*	*-17,84*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	212976,21,00				
				212976,24,00	207601,15,49	-5375,08,51
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5292,71,98
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	50043,54,00				
				50108,37,00	24549,58,93	-25558,78,07
पूरक	Supplementary	64,83,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					25557,21,91

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of grant savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7583.00			
			8649.52	8289.59	-359.93
पु.	R.	1066.52			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण, भाण्डागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	20582738.00			
पू.	S.	2.00	20062657.55	20057098.89	-5558.66
पु.	R.	-520082.45			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	71100.00			
पू.	S.	1.00	220.69	..	-220.69
पु.	R.	– 70880.31			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	619500.00			
			670224.26	668214.42	-2009.84
पु.	R.	50724.26			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	16700.00			
			26600.00	26512.59	-87.41
पु.	R.	9900.00			

(I) ₹71254.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹70800.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" – "नागरिक आपूर्ति– अन्य अनुदान – खाद्यान्नों की अंतर–राज्यीय आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एनएफएसए के अंतर्गत एफपीएस डीलरों का मार्जिन" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹71254.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹70800.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Civil Supplies-Other Grants - Assistant to States Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2408" के अंतर्गत –

(II) Under Major Head "2408" -

(का) "खाद्य" –

(A) "Food" -

(क) "अधिप्राप्ति और आपूर्ति – खाद्यान्नों की अंतर–राज्यीय आवाजाही और एनएफएसए के तहत एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों सहायता" – ₹1225.72 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए कम दावों/प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(a) "Procurement and Supply - Assistance to State Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" - saving of ₹1225.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs) was due to receipt of less claims/proposal for release of Central assistance from UTs.

(ख) "खाद्य सब्सिडी – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)" – ₹575000.00 लाख की बचत (₹17723040.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) ओएमएसएस बिक्री, राज्यों से कम बिलों की प्राप्ति और भारत सरकार द्वारा एफसीआई को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति पर प्रतिबंध के कारण हुई।

(b) "Food Subsidies-Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)" - saving of ₹575000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17723040.00 lakhs) was due to OMSS sale, receipt of less bills from states and restriction by Govt. of India for reimbursement of subsidy to the FCI.

(खा) "भंडारण एवं भांडागार – अनुसंधान एवं मूल्यांकन– भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान" – ₹1426.18 लाख की बचत (₹2644.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद न करने और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा रखरखाव/निर्माण कार्य में देरी के कारण हुई।

(B) "Storage and Warehousing - Research and Evaluation-Indian Grain Storage Management & Research Institute" - saving of ₹1426.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2644.00 lakhs) was due to non-filling of vacant post, non-conduction of training program, non-procurement of laboratory equipment and delay in maintenance/construction work by CPWD.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹730.46 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान

(III) Under two heads savings of ₹730.46 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and

का 21 प्रतिशत और 54 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹51707.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खाद्य सब्सिडी" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(का) "एएवाई परिवारों के लिए पीडीएस के तहत देय चीनी सब्सिडी" – ₹36707.00 लाख।

(खा) "इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना" – ₹15000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹14995.14 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग" – ₹706.59 लाख का अधिक व्यय (₹7583.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने और आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की वजह से भत्तों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – निदेशन और प्रशासन – अन्य कार्यालय" – ₹999.00 लाख का अधिक व्यय (₹1.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसडीएफ बकाया की वसूली के लिए नोडल एजेंसियों (एनडीएफसी/आईएफसीआई लिमिटेड) को परीक्षण शुल्क और कमीशन के भुगतान और टीडीएस भरने के लिए एडेप्टेक प्राइवेट लिमिटेड को कमीशन का भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/हिस्सा–एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतर–राज्यीय आवाजाही और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" – ₹49211.96 लाख का अधिक व्यय (₹530000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित

constituting 21 percent and 54 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above saving were partly (₹51707.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2408" - "Food - Food Subsidies" :-

(A) "Sugar Subsidy payable under PDS for AAY Families" - ₹36707.00 lakhs.

(B) "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" - ₹15000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14995.14 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat-Department of Food and Public Distribution" - excess of ₹706.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7583.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards allowances owing to increased staff strength and hiring of outsourced staff.

(B) Major Head "2408" - "Food - Direction and Administration - Other Offices" - excess of ₹999.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1.00 lakh) was due to payment of testing fee and commission to Nodal Agencies (NDFC/IFCI ltd.) for recovery of SDF dues and payment of commission to Adeptech Pvt. Ltd. for TDS filling.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Assistance to States Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" - excess of ₹49211.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹530000.00 lakhs) was due to

परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

re-appropriation of funds from MH "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्र प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/हिस्सा–एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की अंतर–राज्यीय आवाजाही और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" – ₹9900.00 लाख का अधिक व्यय (₹16000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(D) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Assistance to States Agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers margin under NFSA" - excess of ₹9900.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by Govt. of NCT of Delhi.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹2555878.07 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹6483.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 51 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹2555878.07 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹6483.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and constituted 51 percent of the total sanctioned provision-

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4408"	Major Head "4408"				
खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Food Storage and Warehousing				
मू.	O.	4353.00			
पू.	S.	531.00	10582.09	10425.93	-156.16
पु.	R.	5698.09			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1.00			
पू.	S.	5952.00	..	..	..
पु.	R.	-5953.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6408"	Major Head "6408"				
खाद्य, भंडारण और भांड़ागार के लिए ऋण	Loans for Food Storage and Warehousing				
मू.	O.	5000000.00	2444533.00	2444533.00	..
पु.	R.	-2555467.00			

(I) ₹6255.00 लाख का प्रावधान (₹5953.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹5953.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" – "भंडारण और भांडागार – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹6255.00 lakhs (including supplementary grant of ₹5953.00 lakhs) remained wholly unutilised under three heads; of these ₹5953.00 lakhs alone accounted for under Major heads "4552" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and other Undertakings - Food Corporation of India" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "6408" – "खाद्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – एफसीआई को देय अर्थोपाय अग्रिम" के अंतर्गत ₹2555467.00 लाख की बचत (₹5000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अर्थोपाय अग्रिम की पुनर्भुगतान शर्त में छूट का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "6408" - "Food - Loans to Public Sector and other Undertakings - Ways and Means Advance payable to FCI" - saving of ₹2555467.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000000.00 lakhs) was due to non-materialisation of relaxation in re-payment condition of Ways and Means Advance.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4408" – "भंडारण और भांड़ागार – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय खाद्य निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹6167.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4408" - "Storage and Warehousing - Investments in Public Sector and other Undertakings - Food Corporation of India" - excess of ₹6167.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.